न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 03/2011 (75 एल0आर0एक्ट0)

उनवान

लाखन सिंह पुत्र डालचन्द जाति कुशवाह निवासी ग्राम ईटकी मजरा मालोनी खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जसराम
2. सुम्मेरा
3. मूला
4. मवसिया
5. मुन्नीलाल

पुत्रगण रामसिंह जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम मालोनी खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.11.2010 प्रकरण संख्या 18/2009 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर उनवानी लाखन सिंह बनाम जसराम।

उपस्थित :—
1. श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री अम्ब्रीश कुमार एडवोकेट रेस्पोडेण्ट।

निर्णय **दिनांक :—14.02.2018**

1. यह अपील इस न्यायालय में अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2010 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970, विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार धौलपुर दिनांक 09.09.1975 बाबत् आवंटन आराजी खसरा नम्बर 2302 रकबा 8 विस्वा वाके ग्राम मालोनी खुर्द तहसील सैपऊ बाबत् न्याया0 अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी हैं।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं पर गौर ना करके दस्तावेजी तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। तहसीलदार द्वारा आवंटन अथवा नियमन की सिफारिश करने अथवा आवंटन व नियमन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देकर विधि की भूल की है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पुख्ता मकान बना है तथा शेष आराजी अपीलाण्ट के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

उपयोग–उपभोग की भूमि है। इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कब्जे बाबत् किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के पक्ष में निर्णय पारित करने में विधि व तथ्य की भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका मौके पर कब्जा है। विवादित भूमि पर ना तो अपीलाण्ट का मकान बना है और ना ही विवादित भूमि उसके उपभोग–उपयोग में आ रही है। साथ ही अपीलांट के कथनो से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वह आवंटन आदेश से किस प्रकार व्यथित पक्ष है, और यदि वह व्यथित था तो आवंटन के तुरंत बाद उसके द्वारा कोई एतराज क्यों नहीं किया गया। आवंटन के लगभग 34 वर्ष पश्चात आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही किया जाना कतई तर्कसंगत एवं विधिमान्य नहीं है। रैस्पो0 विवादित भूमि के आवंटन पश्चात् से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0डी0 2010 पेज 145 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि आवण्टन दिनांक 09.09.1975 नियम विरूद्ध किये गये हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ, भू आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 09.09.1975 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2009 को 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो काफी देरीना है एवं देरी का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इतना सुदीर्घ विलम्ब, नियम 14(4) अपीलाधीन आवण्टन के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रार्थी की चुनौती को क्षीर्ण, प्रभावहीन एवं सारहीन करता है। विवादित भूमि पर आवंटी खातेदार दर्ज हो चुके हैं। अपीलाण्ट/प्रार्थी उक्त आराजी पर अपना कब्जा कहकर आये हैं। किन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी प्रस्तुत नही की है, जिससे उनका कब्जा साबित होता हो। यदि तर्क के लिए अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा माना भी जावें, तो वह अवैध की श्रेणी मे माना जावेगा। इस प्रकार के अवैध कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को नियमानुसार कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970 क्रमशः 34 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत होने पर, हम आवण्टन निरस्त करने की ओर प्रवृत होना, उचित नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2010 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर